FIVE RUPEES पांच रुपये INDIA ५ रु.
FIVE RUPEES पांच रुपये INDIA ५ रु.
FIVE RUPEES पांच रुपये INDIA ५ रु.

(15)

CF-R 15/-2

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००४ निगरानी — R 1245-PBR/2004

श्री .... द्वारा दि० 28/9/04 .... को प्रस्तुत।

आवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

28 SEP 2004

१। लालाराम २। शिवचरण दोनों पुत्रगण कलुआ, निवासी ग्राम सोहा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, म०प्र० -- प्राथीगण

विरुद्ध

१। श्रीकार पुत्र श्री जसरथ गुसाईं निवासी ग्राम धमना, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, म०प्र०

२। मध्यप्रदेश शासन -- प्रतिप्राथीगण

२८/९/०४

निगरानी विरुद्ध आदेश बन्दोबस्त आयुक्त महोदय, म०प्र० ग्वालियर दिनांक २६-०८-२००४ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० ३।९१-९२ निगरानी ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि बन्दोबस्त आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि बन्दोबस्त आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

R
28.9.04

(३) यहकि प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था ।

(४) यहकि बन्दोबस्त आयुक्त महोदय का आदेश स्वत: अन्तंविरोधी है । उन्होंने विवादित आदेश में एक ओर तो बन्दोबस्त अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक २१-१२-८८ को सहमति के आधार पर एवम् आदेश दिनांक २४-६-९१ को दोनों

-----२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1245–पीबीआर/04 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–16	अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से श्री एस0के0 वाजयपेयी उपस्थित। अनावेदक क्र0 2 शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित । 2/ अपीलर्थी के अभिभाषक ने बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के प्र0क्र0 3/1991–92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26.08.2004 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक के अंधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा कि पुराने नम्बर रकबा 2.571 है0 आवेदक स्वत्व की भूमि है । वह उन्हीं सर्वे नम्बरों पर काबिज है, तथा उसी अनुसार उसने बन्दोबस्त अधिकारी के यहॉ सहमति दी थी। अतः आवेदक इसी के आधार पर प्रकरण का निराकरण चाहते है । 4/ बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21.12.88 में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर आवेदक एवं अनावेदक के कब्जानुसार अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश सहायक बन्दोबस्त अधिकारी को दिया था एवं आदेशानुसार सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण कर समाप्त किया गया ।	

5/ मैंने उभयपक्ष के अभिभाषकगणा के तर्क श्रवण किये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया । पुराना खसरा नं0 330 बन्दोबस्त के पूर्व एक ही नम्बर था । खसरे में उसके बटांक थें, नक्शें में कोई तरमीम नहीं थी, जिनमें खसरा नं0 330/3, 330/4, 330/7 आवेदक के एवं खसरा नं. 330/5, 330/6 अनावेदक के स्वत्व के थे । पटवारी नक्शें में बेटे नम्बरान की कोई स्पष्ट सीमा न होने से बन्दोबस्त के दौरान भूमि पड़त होने से रकबे के आधार पर सीमायें बनाई है (नक्शे में डेस डाट से सीमा दर्शाई है)। बन्दोबस्त के अभिलेख निर्माण में खसरा नं0 330 के बटांक 3, 4, व 7 तीन जगह होने से आवेदक के नये खसरा नं0 346, 447, व 449 दिये गये। जबकि बटांक 5 एवं 6 एक साथ होने से एक ही जगह हाल न0 456 दिया गया है । इसी अनुसार बन्दोबस्त अधिकारी के यहां दिनांक 21.12.88 को उभयपक्ष की सहमति पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा नक्शों एवं अभिलेखों में अमल बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विपरीत किया गया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने अमल करने में अनियमितता की गई है । अनावेदक के इस कथन को बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर मान्य किया है कि बन्दोबस्त अधिकारी के आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.88 के विपरीत यदि कोई कार्यवाही करनी थी, तो या उस सहमति से भिन्न स्थिति थी, तब उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था, जो इस प्रकरण में नहीं दिया गया । अनावेदक को प्राप्त

पट्टे की भूमि क्रमांक 263 330/5, 330/6 कुल रकबा 3.81 है. एवं आवेदक को प्राप्त भूमि क्र0 330/3, 330/4, 330/7, की हाल नक्शें में जहां नम्बर निर्माण होता है वहां पर बनाये जाने पर उभयपक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय में सहमति दी थी, इसके अनुसार अनावेदक के हाल नं0 406, 407 456 एवं आवेदक के हाल नं0 346, 447, 449 बनाये गये है जो अधिकारिक अभिलेख से प्रमाणित होते है । बन्दोबस्त आयुक्त ने इन बिन्दुओं पर विचार करके प्रत्यावर्तन का जो आदेश पारित किया है, मैं उससे सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में बंदोबस्त आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 26.08.2004 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य